

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

33700 - क्या कर्ज का भुगतान करने पर शादी को प्राथमिकता देगा

प्रश्न

यदि किसी व्यक्ति पर ऋण के रूप में दूसरे का हक हो। और वर्तमान समय में उसकी क्षमता लोगों के हुकूम को वापस लौटाने की अनुमति न देती है, जबकि उसकी इच्छा सक्षम होने पर उन हुकूम को लौटाने की है। ज्ञात रह कि उन अधिकारों (ऋण) के मालिक उसके साथ उसी शहर में उपस्थित नहीं हैं। अगर वह उदाहरण के तौर पर कुछ धन प्राप्त करता है और वह अपने ऊपर फितने से डर रहा है और शादी करना चाहता है। तो क्या वह पहले शादी करेगा या लोगों के हुकूम वापिस करेगा ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

लोगों के हुकूम जैसे ऋण आदि को लौटाने को शादी पर प्राथमिकता दी जाएगी। हाँ, यदि ऋण दाता उसे अपने ऋण का भुगतान करने से पहले शादी करने की अनुमति प्रदान कर दें, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए यह जायज़ है।

रही बात उसके अपने ऊपर फितने से डरने की, तो उसे चाहिए कि अपने नफस की सुरक्षा के लिए वह रोज़ा रखे, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है :

“ऐ नवजवानों की जमाअत ! तुम में से जो शादी करने की ताकत रखता है वह शादी करे। क्योंकि यह शर्मगाह की सबसे अधिक हिफाज़त करने वाली और निगाहों को अधिक नीचे रखने वाली है, और जो व्यक्ति इसकी ताकत न रखे तो उसे रोज़ा रखना चाहिए। क्योंकि यह उसकी कामवासना को दबाने वाला है।” सहीह बुखारी व सहीहमुस्लिम।

और अल्लाह तआला ही तौफीक देने वाला है।